नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–17.04.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

1. नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए विभिन्न विभागों से पदाधिकारियों की सेवाएँ उपलब्ध करने तथा रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव, जल संसाधन विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भाग लिया गया।

2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विभिन्न नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त पदाधिकारियों की सेवा लेकर कार्य किया जा रहा है जिससे नगर निकायों के प्रबंधन में कठिनाई हो रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह बताया गया कि सभी विभागों में नियमित पदाधिकारियों की सामान्यतः कमी है। नगर विकास एवं आवास विभाग को विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवा नियमावली बनानी चाहिए तथा नियमित नियुक्ति का प्रयास करना चाहिए।

4. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ पदाधिकारी, अंचलों से विरमित होने वाले हैं।

5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ महिला प्रसार पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध हो सकती है।

6. सभी पहलुओं पर गहन विचार–विमर्श करके निम्नवत् निर्णय लिये गये–

   (i) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्त नगर प्रबंधकों को नगर पंचायतों में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन पर विधि सम्मत विचार किया जाय।

(ii) यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षी पदाधिकारी, जो अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में सेवा देने के उपरान्त लौट रहे हैं, उनसे स्वेच्छा प्राप्त करके उनमें से योग्य पदाधिकारियों की सेवा कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में ली जा सकती है। इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ऐसे पर्यवेक्षी पदाधिकारियों से स्वेच्छा आवेदन online माँगकर संबंधित विभागों से सहमति प्राप्त की जाएगी। तदोपरान्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन किया जा सकेगा।

(iii) सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सरकार का आदेश लेकर अभियंताओं के रिक्त पदों पर जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 10(दस) सहायक अभियंताओं की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध करायी जा सकती है।

(iv) यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवा, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएँ लेने संबंधी, सामान्य नीति के अनुसार ली जाय। इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

(v) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर निकायों में प्रावधानित पदों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति करनी है, उनके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा पर रखने की कार्रवाई की जाय।

(vi) नगर विकास एवं आवास विभाग को यह निदेश दिया गया कि सभी पदों के लिए सेवा नियमावली गठित की जाय एवं नियमित नियुक्ति की जाय।

(vii) यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त करके की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21/4/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– 2071 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 22/4/15

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित।

21.4.15

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:/Anuj Office/2015 (Hindi.doc)

नगर विकास एंव आवास विभाग से संबंधित पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–17.04.2015 को आहूत बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना –

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग –

3. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग –

4. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग –

5. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग –

6. सचिव, जल संसाधन विभाग –

7. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग –